रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090] नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 2010/ज्येष्ठ 12, 1932

No. 1090] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 2010/JYAISTHA 12, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2010

का.आ. 1304(अ).—केन्द्रीय सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 810 (अ), तारीख 24 मई, 2007 द्वारा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की दरें नियत करने या उनकी पुनरीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति डॉ. के. नारायण कुरुप की अध्यक्षता में एक वेतन बोर्ड गठित किया और वेतन बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष अर्थात् 23 मई, 2010 तक की अवधि दी गई थी;

और न्यायमूर्ति डा. के. नारायण कुरुप ने 31 जुलाई, 2008 से वेतन बोर्ड के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है और बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरबख्श राय मजीठिया को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 581(अ), तारीख 28 फरवरी, 2009 द्वारा उक्त वेतन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है;

और वेतन बोर्ड तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 23 मई, 2010 के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो सका है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गुरबख्श राय मजीठिया की अध्यक्षता में गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्ड की अवधि को 31 दिसम्बर, 2010 तक के लिए बढ़ाती है जिससे और कोई समय बढ़ाए बिना, 31 दिसम्बर, 2010 को या इससे पहले वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा सके।

[फा. सं. वी-24032/1/2010-डब्ल्यू बी]

हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2010

S.O. 1304(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 13C of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) has constituted a Wage Board for the purpose of fixing or revising rates of wages in respect of non-journalists newspaper employees vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, No. S.O. 810(E), dated the 24th May, 2007 under the Chairmanship of Dr. Justice K. Narayana Kurup and the Wage Board was given a period of three years to submit its report, i.e., by 23rd May, 2010;

And whereas, Dr. Justice K. Narayana Kurup has resigned as the Chairman of the Wage Board effective from 31st July, 2008 and Justice Gurbax Rai Majithia, retired Judge, High Court of Bombay, has been appointed as the Chairman of the said Wage Board vide notification No. S. O. 581 (E), dated the 28th February, 2009;

And whereas, the Wage Board has not been able to submit its Report to the Government within a period of three years, i.e., by 23rd May, 2010;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 13C of the said Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government hereby extends the term of the Wage Board for non-journalists newspaper employees under the Chairmanship of Justice Gurbax Rai Majithia, retired Judge, High Court of Bombay up to the 31st December, 2010 so as to finalize the recommendations of the Wage Board on or before 31st December, 2010 without any further extension of time.

[F. No. V-24032/1/2010-WB]
HARCHARAN SINGH, Dy. Director General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2010

का.आ. 1305(अ).—केन्द्रीय सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 809 (अ), तारीख 24 मई, 2007 द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मजदूरी की दरें नियत करने या उनकी पुनरीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति डॉ. के. नारायण कुरुप की अध्यक्षता में एक वेतन बोर्ड गठित किया और वेतन बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष अर्थात् 23 मई, 2010 तक की अवधि दी गई थी;

और न्यायमूर्ति डा. के. नारायण कुरुप ने 31 जुलाई, 2008 से वेतन बोर्ड के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है और बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरबख्श राय मजीठिया को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 580(अ), तारीख 28 फरवरी, 2009 द्वारा उक्त वेतन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है;

और वेतन बोर्ड तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 23 मई, 2010 के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो सका है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गुरबख्श राय मजीठिया की अध्यक्षता में श्रमजीवी पत्रकारों हेतु वेतन बोर्ड की अवधि को 31 दिसम्बर, 2010 तक बढ़ाती है जिससे और कोई समय बढ़ाए बिना, 31 दिसम्बर, 2010 को या इससे पहले वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा सके।

[फा. सं. वी-24032/1/2010-डब्ल्यू बी]
हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2010

S.O. 1305(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 9 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) has constituted a Wage Board for the purpose of fixing or revising rates of wages in respect of working journalist vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, No. S.O. 809(E), dated the 24th May, 2007 under the Chairmanship of Dr. Justice K. Narayana Kurup and the Wage Board was given a period of three years to submit its report, i.e., by 23rd May, 2010;

And whereas, Dr. Justice K. Narayana Kurup has resigned as the Chairman of the Wage Board effective from 31st July, 2008 and Justice Gurbax Rai Majithia, retired Judge, High Court of Bombay, has been appointed as the Chairman of the said Wage Board vide notification No. S. O. 580 (E), dated the 28th February, 2009;

And whereas, the Wage Board has not been able to submit its Report to the Government within a period of three years, i.e., by 23rd May, 2010;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the said Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government hereby extends the term of the Wage Board for working journalists under the Chairmanship of Justice Gurbax Rai Majithia, retired Judge, High Court of Bombay up to the 31st December, 2010 so as to finalize the recommendations of the Wage Board on or before 31st December, 2010 without any further extension of time.

[F. No. V-24032/1/2010-WB]
HARCHARAN SINGH, Dy. Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.